महिला–यौन उत्पीड़न और कानून

डॉ. चन्द्रा वर्मा

प्रस्तावना :

महिलाएं किसी भी देश के मानव संसाधन का अहम हिस्सा है। देश एवं समाज का विकास नारी–विकास बिना संभव नहीं। लेकिन माँ, बहन, पत्नी, बेटी, सहकर्मी रूप में समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद 21वीं सदी के सभ्य एवं आधुनिक समाज में आज भी महिलाओं को 'बचपन से बुढ़ापा' तक 'पालने से कब्र' तक विभिन्न अवस्थाओं में लैंगिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारतीय संसकृति 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' के दर्शन में विश्वास रखती है। ऐसे संस्कृतिवान देश में महिलाओं का बलात्कार, कन्या भ्रूण–हत्या, दहेज के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यौन–शोषण, लैंगिक भेदभाव, घर में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, अर्थिक हिंसा एक कड़वा सच भी है और इस दर्शन पर एक जबरदस्त प्रहार भी।

संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का नारा दिया है– 'एक वादा, समय रहते महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का अंत'। इसे पूरी दुनिया में महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती हिंसा को रोकने का प्रयास भी कहा जा सकता है। महिलओं के विरूद्ध हिंसा उसके अस्तित्व और उनकी उन्नति को रोकने का एक बड़ा कारण है। तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के प्रति भेदभाव बरतने के मामले समाज के लिए नए नहीं है। सालों से चल रहे महिला सशक्तिकरण के अभियानों के बावजूद आज भी महिलाएं उपेक्षा की शिकार हो रही है। संसद, मिडियं, पुलिस, न्यायपालिका की लगातार सकियता महज यौगिक हिंसा को रोकने पर केंद्रित रही हैं। लैंगिक हिंसा, जो यौगिक हिंसा की जड़ है, से सभी ने कन्नी काट रखी है। यौगिक हिंसा से निपटने के नाम पर उन्हीं आजमाए हुए उपायों को मजबूत किया गया है जो पहले भी अप्रभावी रहे है।

महिलाओं को लैंगिक और यौनिक, दोनो वजहों से शोषण का सामना करना पड़ता है। लैंगिक पक्ष कमजोर होने के कारण ही महिला के यौन उत्पीड़न भी सहना पड़ता है। लिहाजा, बिना लैंगिक हिंसा पर चोट किए यौनिक हिंसा पर प्रभावी चोट की ही नहीं जा सकती। आज भी अधिकतर स्त्रियां शिक्षा, नौकरी, जीवन–साथी आदि मनमर्जी का चुनाव नहीं कर सकती, और उन्हें कठोरतम लैंगिक पूर्वग्रहों से लेकर तेजाबी हमलों और पारिवारिक 'सम्मान–हत्याओं' का निशाना बनाया जाता है। तरह–तरह की विधियों, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि के नाम पर औरत की मर्द अश्रित छवि को बढ़ावा देने में सभी सकिय योगदान देते है।

यौनिक हिंसा की तस्वीर की भयावहता और व्यापकता तो फिर भी आंकड़ो में समेटी जा सकती है, पर लैंगिक हिंसा में तो लगभग शत प्रतिशत मर्द और पुरूष प्रधान सामाजिक संरचना शामिल है। दरअसल, लैंगिक अभय से भरे मर्द के लिए लैंगिक हिंसा से यौनिक हिंसा पर पहुंचने में एक पतली–सी मनोवैज्ञानिक रेखा ही पार करने को रह जाती है। वह लैंगिक अपराधी तो होता ही है, यौन–अपराधी होना इसी कम में अगली कड़ी जैसा हो जाता है। इसी लिए यौन–अपराधियों का कोई परिभाषित प्रोफाइल नहीं बनाया जा सकता, जैसा कि अन्य गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कर सकती है। यौन हिंसा कही भी कभी भी किसी के साथ हो सकती है।

लैंगिक हिंसा, अन्याय, भेदभाव, शोषण सभी समाजों में अलग–अलग अनुपात में, परन्तु विद्यमान अवश्य है। वर्ष 1995 से भारत में नारी प्रताड़ना एवं दहेज मृत्यु की संख्या में वृद्धि हुई एवं इससे संबंधित अपराधों के कारण महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों में भारत सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां महिला की देवी के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीर कुछ निम्न प्रकार से है–

:– हर 3 मिनट पर महिलाओं के साथ अपराध

:– हर 15 मिनट पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़

:– हर 53 मिनट पर एक यौन उत्पीड़न

:– हर 9 मिनट पर पति / रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित

:– हर 29 मिनट पर एक बलात्कार

:– हर 75 मिनट पर एक दहेज हत्या

:– हर 33 मिनट पर एक अपहरण / हरण

:– हर 4 मिनट पर एक अवेक्षणीय अपराध

:– हर 93 मिनट पर एक औरत मार दी जाती है

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, भारत सरकार, दिल्ली।

ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं इस तात्कालिक जरूरत को रेखांकित करता है कि हमारा समाज थोड़ा रूक कर सोचे और मूल्यों के क्षरण पर आत्मनिरीक्षण करें कि हम क्यों बार–बार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने में विफल साबित हो रहे है। हम कह सकते है कि बाईस वर्ष पूर्व आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत के साथ जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है उसी के साथ अपराधों में भी गुंणात्मक वृद्धि हुई है। इन अपराधों में सबसे घृणित है यौन अपराध। देश–दुनिया को मर्मामत करने वाली दिल्ली के सामूहिक दुष्कर्म काण्ड के खिलाफ उपजे रोब के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानूनों में बदलाव को स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नए और कड़ें प्रवधानों वाले दुष्कर्म रोधी विधेयक पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है।

दुष्कर्म निरोधक विधेयक की मुख्य बातें

आपराधिक कानून(संशोधन) विधेयक 2013

1. आईपीसी में तेजाब हमले की पहली बार अलग अपराध के तौर पर व्यख्या की गई है।

2. बलात्कार के मामले में अगर पीड़ित की मौत हो जाती है या वह सतत् निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है तो न्यूनतम सजा 20 वर्ष के कारावास की होगी जो जेल में दोषी की स्वभाविक मौत या फांसी की सजा तक बढ़ाई जा सकती है।

3. कोई भी अस्पताल, निजी या सरकारी, बलात्कार पीड़ित के इलाज से इंकार नहीं कर सकता, इंकार करने पर एक साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।

4. यौन संबंधों के लिये रजामंदी की उम्र 18 वर्ष तय की गई है।

5. घूरना और पीछा करना पृथक अपराधो के तौर पर परिभाषित, पहली बार के अपराधी को जमानत दी जाएगी लेकिन उसके बाद इन अपराधों पर जमानत नहीं मिलेगी।

इस नए कानून में तेजाब से हमला, पीछा करने और छुप–छुपकर घूरने जैसे अपराधों के लिए भी कड़ी सजा के प्रावधान किए गए है। इस विधेयक को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के नाम से जाना जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी मिलना निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाकर उन्हें बड़ी राहत दी है।

लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि आपराधिक वृत्ति के लोग खौफ खाएं, वरना ये कानून भी दूसरे कानूनों की तरह महिलाओं के लिए बताए गए कानूनों की एक लंबी सूची दर्शाते रह जाएगें।

किरण बेदी पूर्व महिला आई.पी.एस ने भी महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में अपराध को रोकने के लिए, 'सिक्स पी'– पेरेट्स–प्रिंसिपल, पुलिस, पौलिटिशंयस, प्रॉसिक्युशन (अभियोजन), पिक्चर्स और प्रिजन(जेल) की बात की, इन सभी को मिलकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नजर बनाए रखने के लिए समानांतर कार्य करना होगा।

इस प्रकार भारत को अपने लोगों के बीच से ही नई तरह की आंतरिक जीवनशैली और कानून की जरूरत है। महज अपनी ताकत को बढ़ाने या आर्थिक शक्ति बनाने में लगे रहना ही समाधान नहीं है। महिलाओं का सम्मान करके ही हम समाज और देश को आगे ले जा सकते है। इसके बिना सारी बातें बेमानी है।

PDF (UGC)

University of Rajasthan

Jaipur

सन्दर्भ सूची

1. अवस्थी, सुधा, महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, अशोक लॉ हाउस, नई दिल्ली।

2. अखिलेश एस, 'महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार : उत्तरदायी कौन? पुलिस विज्ञान, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, अक्टूबर–दिसम्बर, 2006

3. जौहरी डॉ. रचना, गुप्ता सभाष चन्द्र, महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2009

4. यादव रवि प्रकाश, दीप रागिनी, राम पूजा, लैंगिक हिंसा एवं महिला सशक्तिकरण, आवष्किार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूर्स, जयपुर 2010

5. खण्डेला मानचंद, आधुनिकता और महिला उत्पीड़न, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2006.

6. जनसत्ता, 2013